Kumari Vidyavati Anand D.A.V. College for Women, Karnal

Legal Literacy Club Report 2025-26

Convener: Dr Sunita Devi
Co-convener: Dr Sakshi Aneja
Members: Ms Bharti, Ms Prashantika, Ms Neha (Economics), Ms Himanshu

<u>Activities Organised:-</u>

1. Legal Literacy Club and Department of Computer Science organized Online National Level Essay Writing Competition in September 2025 on the topic Protecting Privacy and Safety: Legal Awareness on Deepfake and Digital Arrest Crimes, गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा डीपफेक और डिजिटल गिरफ्तारी अपराधो पर कानूनी जागरूकता|

Brochure of the Competition

Kumari Vidyavati Anand D.A.V. College for Women, Karnal

Directly Managed by DAV College Managing Committee, New Delhi
Affiliated to Kurukshetra University, Kurukshetra
Affiliated with UGC 12(B) 2(f); ISO 50001, 14001 & 9001 Certified

Legal literacy Club and Computer Science Department.
Organize

Online National Level Essay Writing Competition

ENGLISH TOPIC: - Protecting Privacy and Safety: Legal Awareness on Deepfake and Digital Arrest Crimes"

HINDI TOPIC: - गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा: डीपफेक और डिजिटल गिरफ्तारी अपराधों पर कानूनी जागरूकता

RESULTS

S.NO	NAME	CLASS	ROLL No.	COLLEGE	CITY	POSITION
1	Aarti	B.A Final year	1230344390	Arya P.G. College.	Panipat	I
2	Navya	M.Com 1st year	2251927002	Indira Gandhi Mahila Mahavidyalaya	Kaithal	II
3	Aarti Chauhan	BA 3rd year	1230514253	Government College For Women,Karnal	Karnal	II
4	Harpreet	BA 3rd year	6083	FC college for women	Hisar	III
5	Nagender Singh Bisht	CLC Section D	25557	CLC, Faculty of Law, DU	Delhi	III
6	Simran	BA 1st Year	1250344034	Arya P.G. College	Panipat	CONSOLATION
7	Kirandeep kaur	M.A. English	2241813001	Dayanand Mahila Mahavidyalaya	Kurukshetra	CONSOLATION

Principal (Offg.)
Mrs. Meenu Sharma

Convener
Dr. Sunita Devi
(legal Literacy Club)

Co-Convener
Dr. Sakshi Aneja
(H.O.D Computer Science Dept.)

Result of the Competition

2. On October 06, 2025, students along with Dr. Sunita Devi, Convener, Legal Literacy Club, visited a weekly exhibition organized by the Haryana Government in Kurkshetra, where they gained information about three new laws enacted by the Government of India.

घटना स्थल
GPS Map Camera
Google
Kurukshetra, Haryana, India
445, Krishan Nagar, Kurukshetra, Haryana 136118, India
Lat 29.959413° Long 76.834343°
06/10/2025 04:06 PM GMT +05:30

जिला कारागार कुरुक्षेत्र
भारतीय न्याय संहिता, 2023

3. Legal literacy Club and Department of Computer Sciences organised Online National Photography & Art Showcase on the occasion of National Legal Services Day 2025 in first week of October. Students from various streams participated in the events.

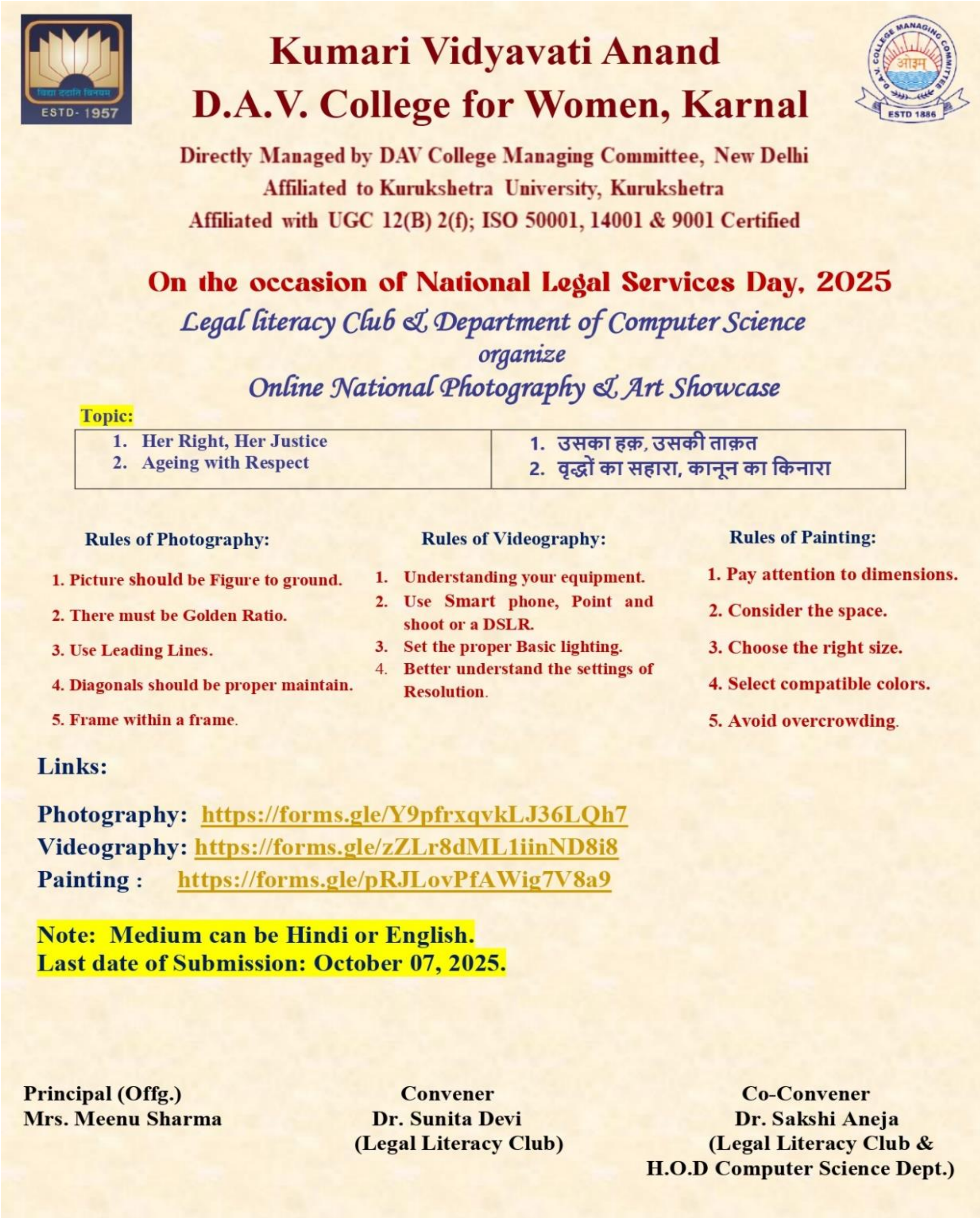

Brochure of the Competition

Kumari Vidyavati Anand
D.A.V. College for Women, Karnal

Directly Managed by DAV College Managing Committee, New Delhi
Affiliated to Kurukshetra University, Kurukshetra
Affiliated with UGC 12(B) 2(f); ISO 50001, 14001 & 9001 Certified

On the occasion of National Legal Services Day, 2025

Legal literacy Club & Department of Computer Science
organize
Online National Photography & Art Showcase

Results

National Photography:

S.NO.	Name	Class	Roll Number	Position
1	Geetanshu	BCA Final Year	1230804013	First
2	Himanshi	BCA 2nd year	1240804011	Second
3	Srishti	BCA First Year	1250804019	Third

Painting:

S.NO.	Name	Class	Roll Number	Position
1	Zarfisha Khan	B.Com 2nd year	1240805019	First
2	Yashika	M.Com 2nd year	2242040001	Second
3	Naina	BCA 1st year	1250804008	Third

Judged by:

Ms. Megha
(Assistant Professor of Computer Science)

Ms. Prashantika
(Assistant Professor of Computer Science)

Principal (Offg.)
Mrs. Meenu Sharma

Convener
Dr. Sunita Devi
(Legal Literacy Club)

Co-Convener
Dr. Sakshi Aneja
(H.O.D Computer Science Dept.)

Result of the Competition

4. Department of Computer Science in collaboration with Legal Literacy Club organised Expert Lecture on “Cybercrime & Security” on October 09, 2025 in Audio Visual Lab of Kumari Vidyavati Anand D.A.V. College for Women, Karnal. The Resource Person was Mr. Deepak S.H.O., Thana City, Karnal. He informed the students about Cyber crimes and frauds which occur through mobile phones or any other digital gazettes. He also announces the number to report cyber frauds and website addresses to students. More than 100 students attended this Lecture from various streams.

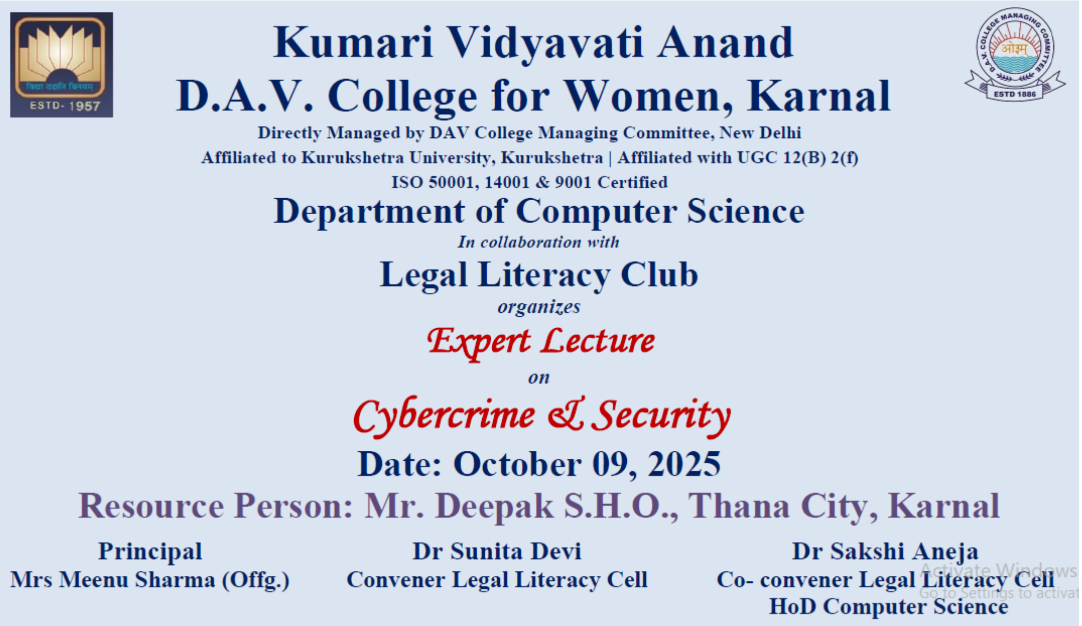

Brochure of the Event

Pics of the Event

Pics of the Event

5. On the occasion of Legal Literacy Day 2025 (November 09, 2025), Legal Literacy Club organised an Extension Lecture on Legal Rights of Women on November 11, 2025. Resource Person of this event was Dr Anuradha Nagia, Associate Professor & Head, Department of Political Science. An oath taking ceremony on Awareness of Legal Rights and Nasha Mukti was also organised on this occasion.

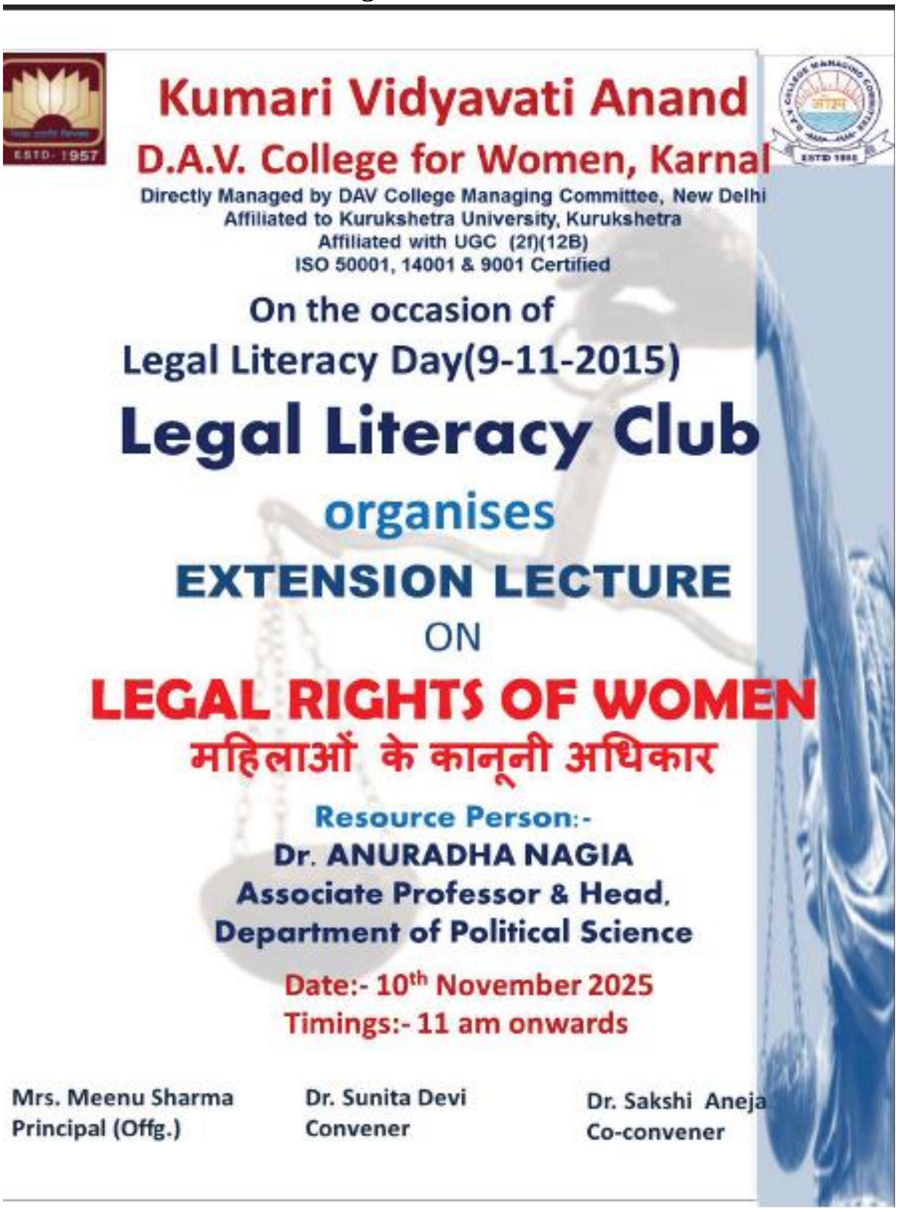

Brochure of the Event

Extension Lecture on Legal Rights of Women

Extension Lecture on Legal Rights of Women

Oath Taking Ceremony on Awareness of Legal Rights and Nasha Mukti

Oath Taking Ceremony on Awareness of Legal Rights and Nasha Mukti

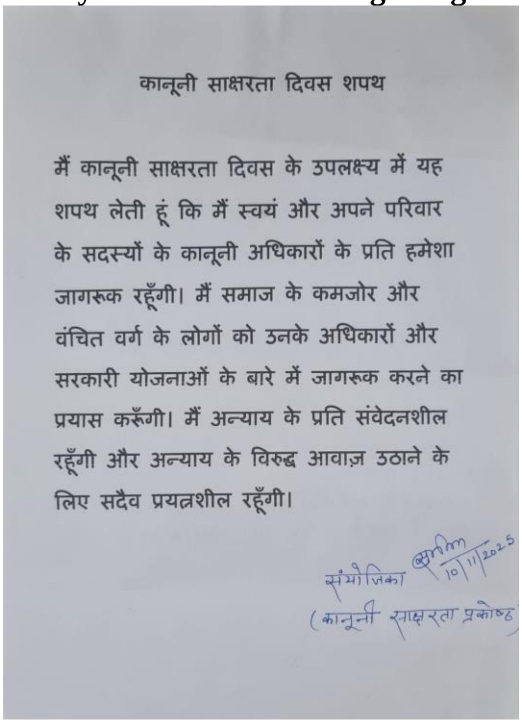

कानूनी साक्षरता दिवस शपथ

मैं कानूनी साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में यह शपथ लेती हूं कि मैं स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के कानूनी अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहूँगी। मैं समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने का प्रयास करूँगी। मैं अन्याय के प्रति संवेदनशील रहूँगी और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूँगी।

संयोजिका 10/11/2025
(कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ)

Oath on Awareness of Legal Rights

महाविद्यालय मे किया 'कानूनी साक्षरता दिवस समारोह' का आयोजन

करनाल, आशुतोष गौतम। कुमारी विद्यावती आनंद डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के सौजन्य से कानूनी साक्षरता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत विस्तृत वक्तव्य और शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाया गया। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्षा डॉ. अनुराधा नागिया मुख्यवक्ता रही जिनके विस्तृत वक्तव्य का विषय रहा :- महिलाओं के कानूनी अधिकार। इसके साथ ही नशा मुक्ति जागरूकता समिति द्वारा भी %विस्तृत व्याख्यान एवं नशा मुक्ति पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नशा मुक्ति अभियान की मुख्य वक्ता डॉ. सुनीता रही जिनका विषय रहा :- नशा मुक्त भारत : एक अभियान।

महाविद्यालय की प्राचार्या मीनू शर्मा ने छात्राओं को जागरुक करते हुए कहा कि कानूनी अधिकारों के साथ-साथ हमें विवेकशील रहकर अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए अगर हम अपनी कर्तव्य निर्वहन करते हैं तो अधिकार सहजता से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सजगता से कानूनी अधिकारों के प्रयोग पर बल दिया। नशा मुक्ति का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा की एक स्वस्थ समाज के लिए नशा मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य वक्ता डॉ. अनुराधा नागिया ने संविधान में वर्णित महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं कर्तव्य विषयक विस्तृत जानकारी देते हुए छात्राओं को अधिकार प्राप्ति के लिए शिक्षित, स्वावलंबी और स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष बल दिया। नशा मुक्ति अभियान की मुख्य वक्ता एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुनीता ने विस्तृत व्याख्यान देते हुए नशा मुक्ति पर छात्राओं को जागरुक करते हुए कहा कि नशा समाज के लिए अभिशाप है और स्वास्थ्य के

लिए अत्यंत हानिकारक है तथा छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपने घर- परिवार, गांव-शहर में नशा मुक्ति के लिए सभी को जागरूक करने का प्रयास करें। साथ ही कानूनी अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहने के लिए और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। नशा मुक्ति प्रदर्शनी के माध्यम से छात्राओं को नशावृति की समस्या के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ की सहसंयोजिका डॉ. साक्षी अनेजा, श्रीमती मेघा, सुश्री हिमांशु ने भी सक्रिय योगदान दिया।

Media Coverage of the Event

इस कार्यक्रम का आयोजन | नूतन गर्ग (अंग्रेजी विभाग), डॉ. | लेखन प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण | (गणित विभाग) ने भूमिका निभाई।

के.वी.ए.डी.ए.वी. में कानूनी साक्षरता पर विस्तृत व्याख्यान एवं नशा मुक्ति पर प्रदर्शनी

करनाल, 10 नवम्बर (वर्मा): कुमारी विद्यावती आनंद डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय में 'कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ' के सौजन्य से 'कानूनी साक्षरता दिवस समारोह' का आयोजन किया गया। विस्तृत वक्तव्य और शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाया गया। राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्षा डॉ. अनुराधा नागिया मुख्यवक्ता रही जिनके विस्तृत वक्तव्य का विषय रहा 'महिलाओं के कानूनी अधिकार'।

इसके साथ ही 'नशा मुक्ति जागरूकता समिति' द्वारा भी 'विस्तृत व्याख्यान एवं नशा मुक्ति पर प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया। 'नशा मुक्ति अभियान' की मुख्य वक्ता डॉ. सुनीता रही जिनका विषय रहा 'नशा मुक्त भारत : एक अभियान'।

कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक व नशे के नुकसान की जानकारी देते हुए वक्ता।

महाविद्यालय की प्राचार्या मीनू शर्मा ने छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि कानूनी अधिकारों के साथ-साथ हमें विवेकशील रहकर अपने कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने सजगता से कानूनी अधिकारों के प्रयोग पर बल दिया। नशा मुक्ति का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ समाज के लिए नशा मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य वक्ता डॉ. अनुराधा नागिया ने संविधान में वर्णित महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं कर्त्तव्य विषयक विस्तृत जानकारी देते हुए छात्राओं को अधिकार प्राप्ति के लिए शिक्षित, स्वावलंबी और स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष बल दिया।

नशा मुक्ति अभियान की मुख्य वक्ता एसोसिएट प्रोफैसर डॉ. सुनीता ने नशा मुक्ति पर छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि नशा समाज के लिए अभिशाप है और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है तथा छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपने घर- परिवार, गांव-शहर में नशा मुक्ति के लिए सभी को जागरूक करने का प्रयास करें।

साथ ही कानूनी अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहने के लिए और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ की सहसंयोजिका डॉ. साक्षी अनेजा, मेघा, हिमांशु ने भी सक्रिय योगदान दिया।

Media Coverage of the Event (Punjab Kesari)

भावना और अधिक प्रबल होती है। संवाद

नशे के खिलाफ किया जागरूक

करनाल। कुमारी विद्यावती आनंद डीएवी महिला महाविद्यालय में कानूनी साक्षरता दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत विस्तृत वक्तव्य और शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाया गया। राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अनुराधा नागिया मुख्य वक्ता रही, जिनके विस्तृत वक्तव्य का विषय रहा महिलाओं के कानूनी अधिकार। नशा मुक्ति जागरूकता समिति ने भी विस्तृत व्याख्यान और नशा मुक्ति पर प्रदर्शनी लगाई। नशा मुक्ति अभियान की मुख्य वक्ता डॉ. सुनीता रहीं। डॉ. अनुराधा ने कानूनी अधिकार व कर्तव्य विषयक विस्तृत जानकारी दी। डॉ. सुनीता ने भी विचार रखे। संवाद

Media Coverage of the Event (Amar Ujala)

डीएवी महिला कॉलेज में कानूनी साक्षरता दिवस व नशा मुक्ति

हरिभूमि न्यूज ▸▸| करनाल

कुमारी विद्यावती आनंद डीएवी महिला महाविद्यालय में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के सौजन्य से कानूनी साक्षरता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्षा डॉ. अनुराधा नागिया ने "महिलाओं के कानूनी अधिकार" विषय पर मुख्य वक्तव्य दिया। इसके साथ नशा मुक्ति जागरूकता समिति द्वारा "नशा मुक्त भारत : एक अभियान" विषय पर डॉ. सुनीता ने विस्तृत व्याख्यान दिया। कॉलेज प्राचार्या मीनू शर्मा ने कहा कि "हमें अपने कानूनी अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए।

इंद्री। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता मे भाग लेते महाविद्यालय के विद्यार्थी ।

रेडक्रॉस मानवता की एक जीवंत भावना

प्राचार्या ने कहा, विवेकशील और सजग नागरिक ही मजबूत समाज की नींव हैं।" डॉ. नागिया ने कहा कि शिक्षित और स्वावलंबी महिला ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। वहीं, डॉ. सुनीता ने कहा कि "नशा समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए अभिशाप है। हर छात्रा को इसके खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए।" कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह और नशा मुक्ति प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। सहसंयोजिका डॉ. साक्षी अनेजा, मेघा व सुश्री हिमांशु ने सक्रिय भूमिका निभाई।

Media Coverage of the Event (Hari Bhumi)

हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए: मीनू शर्मा

करनाल | कुमारी विद्यावती आनंद डीएवी महिला महाविद्यालय में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के सौजन्य से कानूनी साक्षरता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत विस्तृत वक्तव्य और शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाया गया। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अनुराधा नागिया मुख्य वक्ता रहीं, जिन्होंने महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही नशा मुक्ति जागरूकता समिति द्वारा भी विस्तृत व्याख्यान एवं नशा मुक्ति पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नशा मुक्ति अभियान की मुख्य वक्ता डॉ. सुनीता रही, जिनका विषय रहा नशा मुक्त भारत : एक अभियान रहा। महाविद्यालय की प्राचार्या मीनू शर्मा ने छात्राओं को जागरुक करते हुए कहा कि कानूनी अधिकारों के साथ-साथ हमें विवेकशील रहकर अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। अगर हम अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं तो अधिकार सहजता से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सजगता से कानूनी अधिकारों के प्रयोग पर बल दिया। नशा मुक्ति का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ समाज के लिए नशा मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर सहसंयोजिका डॉ. साक्षी अनेजा, मेघा, हिमांशु ने भी सक्रिय योगदान दिया।

Media Coverage of the Event (Dainik Bhaskar)

6. As per the directions of D.H.E.O. Karnal, Principal, Maharishi Dayanand Govt. Girls College, Dadupur Roran, Karnal, our students and faculty members attended an Awareness Programme / Workshop on the occasion of National Youth Day (under DAWN Scheme) on January 08, 2026 at Pt. CLS Govt. (P.G.) College, Karnal. The Workshop was about the measures to be taken to combat the social evils like Drug Addiction, HIV AIDS etc..

Pics of the Event

Pics of the Event

Pics of the Event

7. Under the Saraswati Mahotsav (January 17-23, 2026), an Online Speech Competition was organized on January 17, 2026, and a Quiz Competition was organized in the college on January 19, 2026. The theme of both competitions was “The Cultural and Spiritual Significance of the Saraswati River.”
   In the Speech Competition, Tanya Sharma, a student of B.A. Third Year, secured the first position. In the Quiz Competition, Sidak (M.A. English, First Year) secured the first position, Khushi Sharma (B.A. Third Year) secured the second position, and Rajni Kaushik (B.A. Third Year) secured the third position. The Principal, Mrs. Meenu Sharma, honored the winning students by awarding them certificates and prizes.

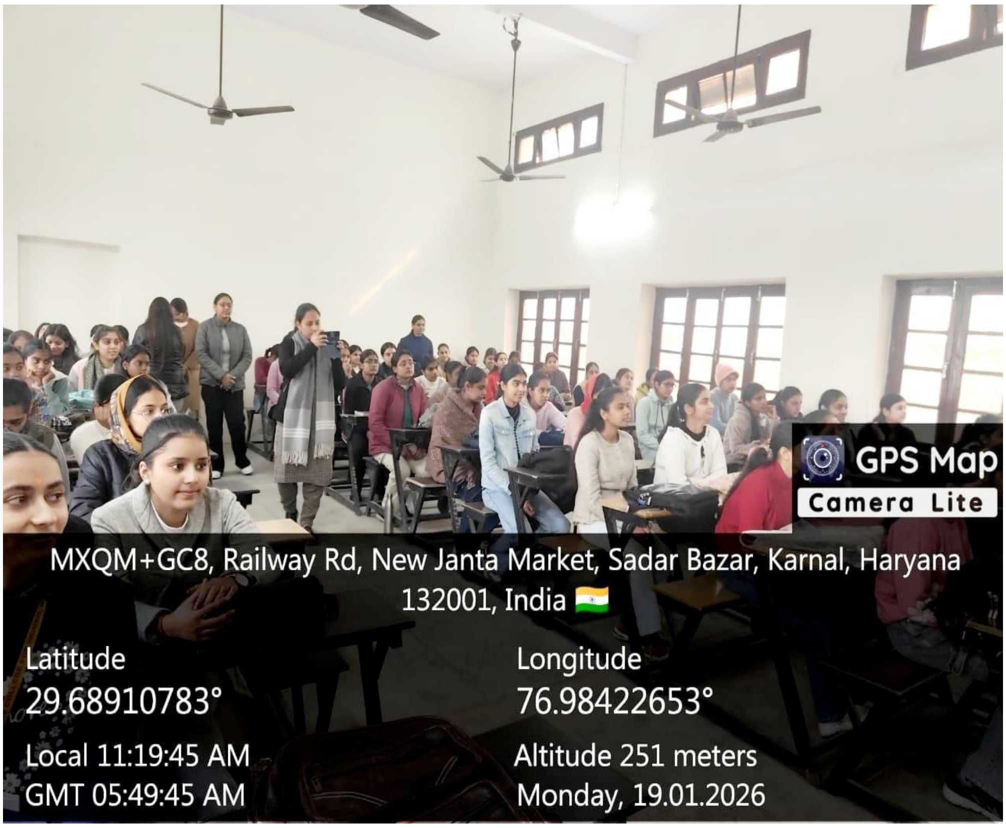
GPS Map
Camera Lite
MXQM+GC8, Railway Rd, New Janta Market, Sadar Bazar, Karnal, Haryana
132001, India
Latitude
29.68910783°
Longitude
76.98422653°
Local 11:19:45 AM
GMT 05:49:45 AM
Altitude 251 meters
Monday, 19.01.2026

KVA DAV COLLEGE FOR WOMEN, KARNAL
1958
(NAAC-A GRADE)
आर्य युवती परिषद्
करनाल
1957
GPS Map
Camera Lite
MXQM+GC8, Railway Rd, New Janta Market, Sadar Bazar, Karnal, Haryana
132001, India
Latitude
29.68909964°
Longitude
76.98423305°
Local 11:19:34 AM
GMT 05:49:34 AM
Altitude 251 meters
Monday, 19.01.2026

8. As per the O/o D.H.E.O. Karnal cum Principal Pt. Chiranji Lala Sharma Govt. College (P.G.) College, Karnal, a District Level "Reel and Short Film Making" Competition was organised on the occasion of National Women's Day / Birth Anniversary of Sarojini Naidu in March 2026. Our Student **Ms Mannat, BCA II Year, secured 1st Position** in this competition.

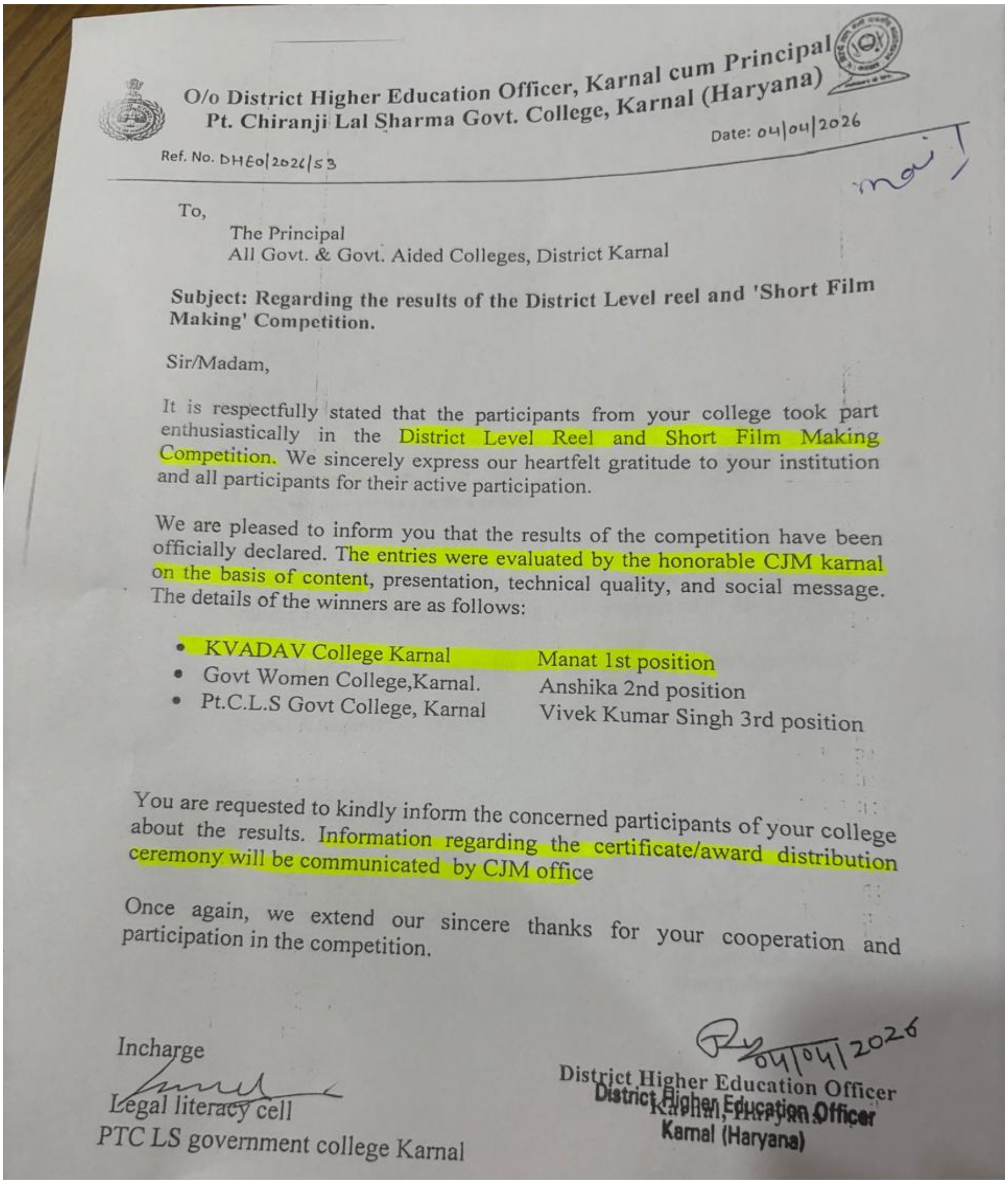

O/o District Higher Education Officer, Karnal cum Principal
Pt. Chiranji Lal Sharma Govt. College, Karnal (Haryana)

Ref. No. DHEO/2026/53

Date: 04/04/2026

To,

The Principal
All Govt. & Govt. Aided Colleges, District Karnal

Subject: Regarding the results of the District Level reel and 'Short Film Making' Competition.

Sir/Madam,

It is respectfully stated that the participants from your college took part enthusiastically in the District Level Reel and Short Film Making Competition. We sincerely express our heartfelt gratitude to your institution and all participants for their active participation.

We are pleased to inform you that the results of the competition have been officially declared. The entries were evaluated by the honorable CJM karnal on the basis of content, presentation, technical quality, and social message. The details of the winners are as follows:

- KVADAV College Karnal — Manat 1st position
- Govt Women College,Karnal. — Anshika 2nd position
- Pt.C.L.S Govt College, Karnal — Vivek Kumar Singh 3rd position

You are requested to kindly inform the concerned participants of your college about the results. Information regarding the certificate/award distribution ceremony will be communicated by CJM office

Once again, we extend our sincere thanks for your cooperation and participation in the competition.

Incharge
Legal literacy cell
PTC LS government college Karnal

04/04/2026
District Higher Education Officer
Karnal, Haryana
District Higher Education Officer
Karnal (Haryana)

Result of the above said Competition

9. An Online Extension Lecture on the topic “Women’s Rights to Property” was successfully organized by Legal Literacy Club, Women Cell and IPR Cell in collaboration with the Department of Computer Science (under the aegis of IQAC) on April 09, 2026. The lecture aimed to create awareness and enhance understanding of legal provisions and rights available to women regarding property ownership and inheritance. The Keynote Speaker of this lecture was Dr Neha, Assistant Professor, Campus Law Centre, Faculty of Law, University of Delhi, an eminent legal expert/academician. Dr Neha delivered an insightful lecture on the evolution of women’s property rights in India, focusing on key legislations such as the Hindu Succession Act and its amendments. The speaker elaborated on important aspects including inheritance rights, coparcenary rights, and the legal remedies available in case of denial of property rights. Real-life examples and case studies were shared to make the session more engaging and informative. The lecture also emphasized the role of awareness and education in bridging the gap between legal rights and their actual implementation.

PUNJAB KESARI PANIPAT, Friday, 10 April 2026

महिला सशक्तिकरण को लेकर संपत्ति अधिकार विषय पर व्याख्यान

करनाल, 9 अप्रैल (वर्मा): कुमारी विद्यावती आनंद डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संरक्षण में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, आई.पी.आर. प्रकोष्ठ और कंप्यूटर विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं के संपत्ति अधिकार विषय पर विस्तृत व्याख्यान ऑनलाइन मंच से किया गया।

इसमें डॉ. नेहा, सहायक प्राध्यापक, कैंपस लॉ सैंटर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय मुख्य वक्ता रहीं। महाविद्यालय की प्राचार्या मीनू शर्मा ने मुख्य वक्ता डॉ. नेहा का स्वागत किया और बताया कि इस व्याख्यान का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व एवं उत्तराधिकार से संबंधित कानूनी प्रावधानों और अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उनकी समझ को सुदृढ़ करना है।

महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने में विधिक साक्षरता अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के आयोजन विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके पश्चात मुख्य वक्ता डॉ. नेहा ने भारत में महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों पर आधारित एक अत्यंत ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत किया।

इसमें उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तथा उसके संशोधनों पर विशेष रूप से चर्चा की। मुख्य वक्ता ने उत्तराधिकारी होने का अधिकार, सहभागिता अधिकार तथा संपत्ति अधिकारों से वंचित होने की स्थिति में उपलब्ध कानूनी उपायों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया। इसके साथ ही उन्होंने वास्तविक जीवन के उदाहरणों एवं केस स्टडीज को भी सांझा कर विषय को और अधिक स्पष्ट किया।

छात्राओं को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि कानूनी जागरूकता एवं शिक्षा के माध्यम से ही कानूनी अधिकारों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। इस सत्र में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, आई.पी.आर. प्रकोष्ठ, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की सभी सदस्याओं के साथ-साथ अन्य प्राध्यापिकाओं और छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

अंत में प्रतिभागियों ने अपनी जिज्ञासा संबंधी प्रश्नों को पूछ कर शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। डॉ. नादिया चौहान द्वारा मंच संचालन किया गया।

कार्यक्रम में डॉ. मंजू सिंह (संयोजिका- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ), डॉ. सुनीत भंडारी (सह-संयोजिका-आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ), डॉ. अंजू नरवाल (संयोजिका-आई.पी.आर सेल), डॉ. सुनीता देवी (संयोजिका- कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ), डॉ. मोनिका सैनी (सह-संयोजिका-आई.पी.आर. सैल), डॉ. कंवलजीत विर्दी (संयोजिका-महिला प्रकोष्ठ), डॉ. साक्षी अनेजा (सह-संयोजिका- कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ) ने भी कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय योगदान दिया।

रोहतक, शुक्रवार 10 अप्रैल 2026
haribhoomi.com

महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर दिया विशेष व्याख्यान

- डीएवी महिला महाविद्यालय में ऑनलाइन आयोजन, छात्राओं को दी कानूनी जानकारी

हरिभूमि न्यूज ▸▸। करनाल

कुमारी विद्यावती आनंद डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संरक्षण में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, आई.पी.आर. प्रकोष्ठ और कंप्यूटर विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं के संपत्ति अधिकार विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉ. नेहा ने भाग लिया। महाविद्यालय की प्राचार्या मीनू शर्मा ने उनका स्वागत करते हुए बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व, उत्तराधिकार और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

डॉ. नेहा ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एवं उसके संशोधनों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उत्तराधिकारी बनने के अधिकार, सहभागिता अधिकार और संपत्ति से वंचित होने की स्थिति में उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी दी। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर विस्तृत जानकारी दी गई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा, कानूनी उपायों और अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

दैनिक जागरण पानीपत, 10 अप्रैल, 2026

महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर किया जागरूक

जासं • करनाल : कुमारी विद्यावती आनंद डीएवी महिला महाविद्यालय में महिलाओं के संपत्ति अधिकार विषय पर आनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के.ला सेंटर की सहायक प्राध्यापक डा. नेहा मुख्य वक्ता रही। महाविद्यालय की प्राचार्या डा. मीनू शर्मा ने मुख्य वक्ता का स्वागत करते हुए कहा कि इस व्याख्यान का उद्देश्य महिलाओ को संपत्ति के स्वामित्व, उतराधिकार तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना है। विधिक साक्षरता के माध्यम से ही महिलाएं अपने अधिकारो के प्रति सजग और सशक्त बन सकती है। मुख्य वक्ता डा. नेहा ने भारत में महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का सचालन डा. नादिया चौहान ने किया। इस अवसर पर डा. मंजू सिंह, डा. सुनीत भंडारी, डा. अंजू नरवाल, डा. सुनीता देवी, डा. मोनिका सैनी, डा. कंवलजीत विर्दी व डा. साक्षी अनेजा मौजूद रहीं।

Press notes of the above event